FINANCIAL EXPRESS

m Manipal Cigna

ManipalCigna Health Insurance Company Limited (Formerly known as CignaTTK Health Insurance Company Limited) Corporate Identity Number: U66000MH2012PLC227948. Registered Office: 4th Floor - Unit No. 401/402, Raheja Titanium, Off. Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai - 400 063, Maharashtra, India, IRDAI Regn. No. 151 T: +91 22 61703600.

Website: www.manipalcigna.com Email: customercare@manipalcigna.com

NOTICE OF RELOCATION OF THE MANIPALCIGNA HEALTH INSURANCE COMPANY LIMITED NAGPUR BRANCH OFFICE

Please note that with effect from 20th March 2023 our **Nagpur Branch Office is shifting:**

From:

Place : Nagpur

to provisional list

Process email id to submit EOI

148, 3rd Floor, Thapar Enclave, Ramdaspeth, Maharagbagh Road, Nagpur 440010, Maharashtra, India

Unit no: 9/SI/2, 6th Floor, Landmark Building, Wardha Road, Ramdaspeth, Nagpur 440010, Maharashtra, India.

Date: 17th January 2023

FORM G (REVISED)

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST ("EoI") FOR M/S BHADRESHWAR VIDYUT PRIVATE LIMITED **OPERATING IN POWER SECTOR AT GUJARAT** (Under Regulation 36A(1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS

	KHHAVAKINI	ARTICULARS		
1,	Name of the corporate debtor along with PAN / CIN/ LLP No.	M/s Bhadreshwar Vidyut Private Limited CIN: U40101TN2007GAT063283		
2.	Address of the registered office	New No. 16, Old No. 41, Ground Floor Thomas Nagar, Little Mount, Saidapet Chennai, Tamil Nadu - 600015		
3	URL of website	Not Available		
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	Village Bhadreshwar, MUNDRA, Kutch, Gujarat, 370405		
5,	Installed capacity of main products/services	2x150 MW coal-based power plant		
6	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	INR 208.27 Cr		
7	Number of employees/ workmen	50 Employees		
8	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors, relevant dates for subsequent events of the process are	The eligibility criteria is mentioned in the detailed Expression of Interest process document available on		
	available at:	Google Drive Link:		
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is	https://drive.google.com/driverfolders/1d5xSunC 2ZTDS-0NNc2KcXjieNop8s-fo?usp=share_link		
	available at:	OR can be sought by email to cirp.bvpl@gmail.com		
10.	Last date for receipt of expression of interest	25 January 2023 (Revised)		
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	04 February 2023 (Revised)		
12.	Last date for submission of objections	09 February 2023 (Revised)		

Hitesh Goel Interim Resolution Professional for Bhadreshwar Vidyut Private Limited Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P01405/2018-2019/12224 Date: 17 January 2023 Address - C4/1002 The Legend Apartments, Sector 57, Gurgaon, Haryana, 122011 Place: New Delhi

cirp.bvpl@gmail.com

Sd/-

Registered office: 201 & 202, Fitwell House, 2nd Floor, Opp Home Town, LBS Road, Vikhroli West, Mumbai – 400083, Maharashtra, India CIN: L45100MH1994PLC082540 Email Id: geninfo@gecpl.com Website: www.gecpl.com Phone No: 022-25780272

GENERIC ENGINEERING CONSTRUCTION AND PROJECTS LIMITED

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING, E-VOTING **INFORMATION AND CUT-OFF DATE**

NOTICE is hereby given that Extra- Ordinary General Meeting ("**EOGM"**) of the Shareholders of Generic Engineering Construction and Projects Limited ("the Company") is scheduled to be held on Tuesday, February 07, 2023 at 11:30 A.M through Video Conference ("VC") /Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the businesses as set out in the Notice convening EGM of the Company in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 read General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 02/2021 January 13, 2021 Circular No. 19/2021 dated December 8, 2021, Circular No. 21/2021 December 14 2021 and Circular No. 02/2022 May 5,2022 and Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (collectively referred as "MCA") Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"). The venue of the meeting shall be deemed to be the registered office of the Company situated at 201 & 202, Fitwell House, 2nd Floor, Opp Home Towr LBS Road, Vikhroli (West), Mumbai City – 400083, Maharashtra, India. Due to applicable circulars and difficulties involved in dispatching physical copies, the

Notice convening the EOGM has been electronically sent only to the Members to all the shareholders whose e-mail IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s) The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.gecpl.com websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively as well as on the website of Central Depository Securities Limited ("CDSL") at www.cdslindia.com. Further, as per the aforesaid circulars, appointment of proxy has been dispensed with for the EGMs to be conducted in electronic mode. Accordingly, the Attendance Slip and Proxy Form have not been annexed to the Notice.

Instruction for attending the EOGM through VC/ OAVM The Members can join the EOGM in the VC/ OAVM mode within 15 minutes before and

after the scheduled time of the commencement of the meeting by following the procedure mentioned in the EOGM Notice. The attendance of the Members participating in the EOGN through VC/ OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Instruction for Remote e-voting and e-voting during the EOGM:

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20

of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, and Regulation 44 of the SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is pleased to provide the facility of "e-voting" to its Shareholder, to enable them to cast their votes on the resolutions proposed to be passed at the EOGM, by electronic means. The Company has engaged the service of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"), who will provide the e-voting facility of casting votes to Shareholder using remote e-voting system (e-voting from a place other than venue o EOGM) ("remote e-voting") as well as e-voting during the EOGM ("e-voting at the EOGM" A person whose name is recorded in the Register of Member or in the Register of Beneficia Owners Maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the EOGM.

Details of e-voting schedule are as under: 1. The cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-voting or

through e-voting system during the EOGM: Friday, January 27, 2023. Date & time of Commencement of E-voting: Friday, February 03, 2023 at 09:00

Date & time of end of E-voting: Monday, February 06, 2023 at 05:00 P.M. (IST) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and remote evoting shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change subsequently Only those Shareholders, who will be present at the EOGM through VC/OAVM facility and who would not have cast their vote by remote e-voting prior to the EOGM and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system at the EOGM. Shareholder who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the EOGM and their presence shall be counted for the purpose of quorum, however such Shareholders

shall not be entitled to cast their vote again at the EOGM. Manner of registering/ updating E-mail Address:

Place: Mumbai

Date: 16/01/2023

financialexp.epap.in

Shareholder who have still not registered their e-mail ID for obtaining login credentials for e-voting are requested to get their email ID registered, as follows:

1. For Member holding shares in Physical form- Please provide necessary details like

Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Company/RTA at cs@gecpl.com or info@satellitecorporate.com

2. For Members holding shares in Dematerialized form- Please provide Demat account details (CDSL-16-digit beneficiary ID or NSDL-16-digit DPID + CLID), Name, Client master or copy of Consolidated Account Statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to Company/ RTA at cs@gecpl.com or info@satellitecorporate.com

The Company/ RTA shall co-ordinate with CDSL and provide the login credentials to such Shareholders Any person who acquires shares & becomes a member of the Company after sending the Notice of the EOGM and holds shares as on cut-off date may obtain the login ID and


password for remote e-voting by sending a request to CDSL at helpdesk.evoting@cdslindia.com or may contact the toll-free number provided by CDSL 1800-200-5533. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of the EOGM for the information purpose only.

If you have any queries or issues regarding attending of EOGM & e-voting from the e-voting system, you may refer the FAQs and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk at evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542/23058543/ 23058738)

For Generic Engineering Construction and Project Limited

Khushboo Agarwal Company Secretary and Compliance Officer Mem. No. A55345

DELHI JAL BOARD: GOVT. OF N.C.T. OF DELHI OFFICE OF THE ADDITIONAL CHIEF ENGINEER (M)-9 COMMAND TANK NO. 4, SEC-20, DWARKA, NEW DELHI-110075. Press N.I.T. No. 62 (2022-23)/EE (T) M-9



N.		Tender	(Rs.)	of tender in e-procurement solution	receipt of tender through e- procurement solution
1.	Improvement of water supply by P/L 200 mm dia HDPE pipe (PE100	Rs. 65,14,216/-	Rs.	13.01.2023	27.01.2023
	PN 6 confirming to IS4984) for Raghu Nagar and Syndicate Enclave		1,30,300/-		
	in Dabri ward in Dwarka AC-33 under AEE(M)-33 (Re-invite)-2				
	(Tender I.D. No. 2023_DJB_234823_1)				
2.	Improvement of water supply by P/L 110 mm dia od HDPE water	Rs. 71,26,436/-	Rs.	13.01.2023	27.01.2023
	line and repl. of 100 mm dia water line in C-block Dabri extension in		1,42,600/-		
	Dwarka assembly constituency (AC-33) under AEE(M)-33 Dwarka				
	(Re-invite)-2 (Tender I.D. No. 2023 _ DJB _234823_2)				
TIV	along with all the terms & conditions is available on DJB Web Site I	nttps://govteproc	urement.delh	ni.gov.in.	Sd/-
SS	UED BY PRO (WATER)			(Sat	ish Kumar)
Adv	t No LS V 451 (2022-23)			EXECUTIVE	ENGINEER (T)M-9

STOP CORONA "Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene"

ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND - TARAKKI KAREINI

ICICI Prudential Asset Management Company Limited Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001. Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051. Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.iciciprumf.com, Email id: enquiry@icicipruamc.com

Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential All Seasons Bond Fund and ICICI Prudential Medium Term Bond Fund (the Schemes)

Notice is hereby given that ICICI Prudential Trust Limited, Trustee to ICICI Prudential Mutual Fund has approved the following distribution under Income Distribution cum capital withdrawal option (IDCW option) of the Schemes, subject to availability of distributable surplus on the record date i.e. on January 19, 2023*:

Name of the Schemes/Plans	Quantum of IDCW (₹ per unit) (Face value of ₹ 10/- each) \$#	NAV as on January 13, 2023 (₹ Per unit)			
ICICI Prudential All Seasons Bond	d Fund	0 00 00			
Quarterly IDCW	0.2079	11.6499			
Direct Plan – Quarterly IDCW	0.2332	11.9369			
ICICI Prudential Medium Term Bond Fund					
Quarterly IDCW	0.1658	10.7385			
Direct Plan - Quarterly IDCW	0.1900	11.3121			

be lower depending upon the extent of distributable surplus available on the record date under the IDCW option of the Schemes.

Subject to deduction of applicable statutory levy, if any

 or the immediately following Business Day, if that day is a Non – Business Day. The distribution with respect to IDCW will be done to all the unit holders/beneficial

owners whose names appear in the register of unit holders/Statement of beneficial owners maintained by the Depositories, as applicable under the IDCW option of the Schemes, at the close of business hours on the record date.

It should be noted that pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW option of the Schemes would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Authorised Signatory

Date: January 16, 2023 No. 005/01/2023

Place: Mumbai

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprumf.com

MAGNUM VENTURES LIMITED

CIN: L21093DL1980PLC010492

Regd. Office: HNO-MN01, Hub and Oak, E-14

Lower Ground Floor, Defence Colony, New Delhi-110024 Tel: +91-11-42420015 | E-mail: info@magnumventures.in

Website: www.magnumventures.in

Notice of 01/2022-23 Extra-Ordinary General

Meeting and Remote E-Voting Information

Notice is hereby given that the 01/2022-23 Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the

Members of MAGNUM VENTURES LIMITED (the Company) will be held on Wednesday,

08th February, 2023 at 01:00 P.M. through Video conferencing ("VC") to transact the

Special Business, as set out in the Notice convening the said Extra-Ordinary General

Meeting. The Notice of EGM and remote e-voting details have been sent to all the

members who hold shares as on record date, i.e. 13th January, 2023, by email, whose

email id is registered with the Company/RTA/Depository(s). The date of completion of

email of the notices to the shareholders is January, 16th, 2023. The said documents can

Pursuant to General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and the

Securities and Exchange Board of India, it is allowed to hold EGM through Video

In case you have not registered your email ID with the Company/ Depository, please follow

below instructions to register your email ID for obtaining Notice of EGM and login details for

Physical Holding: Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS

Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder

scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of

PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of AADHAR Card) for registering email

address. Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS

Services Limited, T-34 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020)

Demat Holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your email

address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your

Further, pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with

rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and regulation 44 of

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company

has offered e-voting facility for transacting all the business by National Securities

Depository Limited (NSDL) through their portal www.evoting.nsdl.com to enable the

The remote e-voting shall commence at 09.00 a.m. on Sunday, 5th February, 2023 and

shall end at 05.00 p.m. on Tuesday, 7th February, 2023. The remote e-voting shall not

. The cut-off date for determining the eligibility of members for remote e-voting and e-

. Any person who becomes member of the Company after dispatch of notice of the

meeting and holding shares as on cut-off date i.e. 1st February, 2023, may obtain the

user id and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or M/s MAS Services

Ltd., R & T Agent of the Company at T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II,

New Delhi-110020 phone-011-26387281/82/83, Fax- 011-26387384, Email-

However, if the members are already registered with NSDL for remote e-voting then they

can use their existing user ID and password for casting their vote. The remote e-voting

. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to

. The facility for voting through e-voting shall be made available at the EGM and the

members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend

. Members may go through the detailed e-voting instructions provided in the EGM Notice

or visit https://evotingindia.com and Any query/grievance relating to e-voting may be

addressed to Ms. Aaina Gupta, Company Secretary, Magnum Ventures Limited at

cs_mvl@cissahibabad.in or to Mr. Shravan Mangla, GM, Mas Services Limited, RTA at

Mr. Munish Kumar Sharma (Advocate and Insolvency Professional), has been

also be viewed on the company's website at www.magnumventures.in

Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM).

along with letter mentioning folio no. if not registered already.

DP for dividend payment by NACH if declare by company.

members to cast their votes electronically.

be available beyond the aforesaid date & time.

module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

the EGM but shall not be entitled to cast their vote again.

appointed as Scrutinizer for the e-voting process.

The member please note the followings:

voting at EGM is 1st February, 2023.

info@masserv.com.

change it subsequently

info@masserv.com

Date: 17/01/2023

Investors are requested to periodically review and update their KYC details along with their mobile number and email id.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.iciciprumf.com or visit AMFI's website https://www.amfiindia.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

RISING DEMAND FOR CREDIT

NBFCs seek liquidity support system

AJAY RAMANATHAN Mumbai, January 16

WITH THE UNION Budget just two weeks away, a host of smaller non-banking financial companies (NBFC) are hoping for some liquidity-enhancement measures that will provide relief to them at a time when the cost of funding has gone up.

"While banks and HFCs (home finance companies) have an active liquidity support system through the RBI and NHB (National Housing Bank), there is no such support for NBFCs. Considering the stellar role of NBFCs in financial inclusion and job creation, it's about time that the government, in consultation with the RBI, creates a liquidity support system for NBFCs," Shachindra Nath, vice chairman and managing director, U GRO Capital, said.

According to him, either SIDBI (Small Industries Development Bank of India) or NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development) should be made as the agency for providing active liquidity support to the NBFCs and there should be a budgetary allocation to SIDBI from the Government of India to provide this liquidity support."

In recent months, lenders have been RUN-UP TO THE

for funds in a bid to meet the rising demand for credit. The liquidity-crunch

has been accentuated by the Reserve Bank of India's (RBI) mechanisms to remove excess liquidity from the financial system. But unlike banks, most

NBFCs are not allowed to raise deposits and have to rely on borrowings. In fact, the incremental borrowings of NBFCs have already risen by 100-150 basis points since April, according to ICRA. Going ahead, the credit rating agency expects the cost of funds of these entities to rise by 50-60 basis points. With the majority of NBFC

borrowings coming from banks, experts believe that the government should reintroduce the partial credit guarantee scheme in order to enhance the flow of credit to non-bank lenders. During the height of the

Covid-19 pandemic in 2020, the government had launched the Partial Credit Guarantee

PH Circle, Thiruvananthapuram

....Respondent No.2

....Respondent No.4


....Respondent No.6

....Respondent No.7


.... Financial Creditor

.... Corporate Debtor

NBFC+HFC BORROWING PROFILE



NBFC & HFC AVERAGE COST OF FUNDS



Scheme 2.0, which provided a portfolio guarantee to publicsector banks on the purchase of bonds or commercial papers with a rating of 'AA and below' issued by NBFC, housing finance institutions, and micro-finance institutions. Experts believe that the gov-

ernment should create a separate funding institution for microfinanciers alone given their significance to the rural economy. "Funding is a major issue

for MFIs. Although banks are

there, getting

funding support becomes a challenge especially for the smaller and medium size ones. The government should help create a dedicated financing institution like Palli Karma Sahavak Foundation in Bangladesh," Jiji Mappen Sa-Dhan, executive director and chief executive officer, Sa-

Dhan said.

Sa-Dhan feels that since most of the equity investment in MFIs is from investors, the government should incentivise local funding institutions to invest in MFIs. This will make the investment in MFI Atmanirbhar. Apart from measures that facilitate funding to the NBFC segment, bankers are also looking forward to announcements that strengthen the income-stream of borrowers, especially rural households and micro, small and medium-sized enterprises (MSME).

towards the repayment of interest with the first three to six months of taking a loan as this would promote a good credit culture in India, say experts.

"While the government is already focused on strengthen ing the sector, since MSMEs contribute more than 30% to GDP and more than 40% to the exports of the country, a lot more needs to be done for the sector through technological and financial interventions including lending," Pankaj Sharma, chief executive officer, Religare Finvest said.

"In order to further integrate unbanked and underbanked MSMEs into the formal lending system, NBFCs anticipate a more simplistic compliance and taxation framework," he added. Simply put, the government should ensure that both banks and NBFCs are taxed similarly considering that the RBI has been trying to bring parity between these two entities, say experts. To put things in perspective,

the Income Tax Act of 1962 states that a bank shall be allowed a deduction of provision of bad and doubtful debts to the extent of 8.5% of the total income. But for NBFCs, the allowance is up to 5% of gross total income. Additionally, a reduction in the applicable loan limit under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act 2002 to ₹5 lakh from ₹20 lakh will help scale up the disbursement and recovery of smallticket loans.

In addition, the government must subsidise borrowers

TENDER NOTICE (E-Tendering Mode Only) E-Tender cum Reverse auction for Providing Professional Services of Survey of Containers/Cargo and Inventory Management at MMLP Mundra for four 04) years ender No. CON/AREA-II/Mundra/Survey/2022 Estimated Cost Rs.1,19,89,838/- (Inclusive of GST) Date of Sale (On Line) From 17/01/2023 at 15:00 hrs. to 31/01/2023 (up to 16:00 hrs. ast Date & Time of submission | On 01/02/2023 up to 17:00 hrs. Date & Time of Opening

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

For eligibility criteria and other details please log onto www.concorindia.com or eprocure.gov.in or www.tenderwizard.com/CCIL. Bidders are requested to visit the Executive Director /Area-II

FORM G

On 02/02/2023 at 15:30 Hrs.

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR **EURO MULTIVISION LIMITED OPERATING IN SOLAR PV CELL MANUFACTURING**

AT BHACHAU. GUJARAT AND REGISTERED OFFICE AT MUMBAI (Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS Name of the Corporate Debtor | EURO MULTIVISION LIMITED along with PAN/CIN/LLP No. CIN: L32300MH2004PLC145995

Address of the registered office Registered Office Address: F12, Ground Floor,

Manufacturing of Solar Photovoltaic Cells with

The eligibility criteria is mentioned in the detailed

Expression of Interest process document which can

be sought by emailing to: cirp.euromulti@gmail.com

CA Jigar Shah

a capacity of 40MW per year

Sangam Arcade, Vallabhbhai Road, Ville Parle (West), Mumbai - 400 056, Maharashtra Factory Address: Survey No. 508, 509, Bhachau Dudhai Road, Bhachau, Kutch - 370 140 URL of website http://www.euromultivision.com/ Solar PV Cell Unit: Survey No. 492, 504, 505(1), Details of place where majority of fixed assets are located 505(2), 506 Village: Shikara, Taluka: Bhachau, Bhachau Dudhai Road, Bhachau (Kutch) - 370140. CD Unit: Survey No. 508, 509 Village: Shikara, Taluka: Bhachau, Bhachau Dudhai Road, Bhachau (Kutch)-370140,

Installed capacity of main products/ services Quantity and value of main products/ Available at http://www.euromultivision.com/ services sold in last financial year

The Resolution Applicant can get the said information available financial statements by sending an email to RP at cirp.euromulti@gmail.com / ip.jigar@gmail.com (with schedules) of two years. lists of creditors, relevant dates | All Information are available at for subsequent events of the www.euromultivision.com

process are available at: Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at

of interest

Last date for receipt of expression | 01st February, 2023 Date of issue of provisional list of 06th February, 2023

11th February, 2023 Process email id to submit EOI cirp.euromulti@gmail.com

> In the matter of Euro Multivision Limited Regd. No.: IBBI/IPA-001/IP-P01121/2018-19/11820 Address: B/801 Gopal Palace, Nr. Shiromani Complex, Nehrunagar Cross Road, Nehrunagar, Ahmedabad - 380 015

Place: Ghaziabad DIN: 01876385

For Magnum Ventures Limited

Abhay Jain (Managing Director)

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice Tender No: 149/2022-23/ KWA/ PHC/D1/TVM

JJM-2021-2024-CWSS to Pallickkal Madavoor and Navaikulam Panchayaths Phase II-Supplying, Laying, Jointing, Testing, and Commissioning of Clear Wate Pumping Main to Decentmukku OHSR in Navaikulam Panchayath-Pipeline Work EMD: Rs. 5,00,000/- Tender fee: Rs. 19,518/- Last Date for submitting Tender 09-02-2023 03:00:pm Phone: 0471-2322303, Website: www.kwa.kerala.gov.in www.etenders.kerala.gov.in Superintending Engineer

KWA-JB-GL-6-1431-2022-23

Vishal Ghisulal Jain

Navi Mumbai – 400703

Having its address at:

FORM NO. NCLT. 3A [see rule 35] Before the National Company Law Tribunal, Mumbai Bench Miscellaneous Application (IBC) No.1181 of 2019 Company PetitionNo. 405/IB/2018 Notice of Interlocutory Application

Liquidator of Sterling SEZ and Infrastructure Limited Registration No. IBBI/IPA-001/IP-P00419/2017-18/10742 AFA valid upto 02.01.2024 Registered Email: vishal@cavishaljain.com Having registered address at D-1902, Palm Beach Residency, Amey CHS Ltd., Plot No. 24-29, Sector-4, Nerul West, Navi Mumbai - 400706. Having communication address at 1003, Satra Plaza, Sector - 19D, Vashi,

Versus Having its address at: 329-Jawahar Nagar Road No. 13, Goregaon (W), Mumbai- 400062Respondent No.1 Sterling Oil Resources Limited

329, Sandesara House, Jawahar Nagar, Goregaon (West) Mumbai- 400062 Sterling Port Limited Having its address at: 43, Atlanta, Nariman Point, Mumbai- 400021

Nitin JayantilalSandesara Member of the Suspended Board of Directors of the Corporate Debtor DIN: 00255496 Having his address at 39, Nutan Laxmi Soceity, Jvpd Scheme, N.S. Road 9, Vile Parle (W), Mumbai

Chetan JayantilalSandesara Member of the Suspended Board of Directors of the Corporate Debtor DIN: 00255671 Having his address at: 39, Nutan Laxmi Soceity, Jvpd Scheme, N.S. Road 9, Vile Parle (W), Mumbai

PriyadarshanbhaiBhimbhai Mehta Former Director of the Corporate Debtor DIN: 01392227 Havina his address at Opposite to Pritamnagar, 1st Slope, Ellisbridge, Ahmedabad-380006

MayuribenHiteshbhai Patel Member of the Suspended Board of Directors of the Corporate Debtor DIN: 00090549 Havina his address at

58A, Punit Nagar Society, Old Padra Road, VadodaraRespondent No.8 Hitesh N. Patel Having his address at: 58A, Punit Nagar Society, Old Padra Road, VadodaraRespondent No.9 IN THE MATTER OF:

SREI Infrastructure Finance Limited Sterling SEZ and Infrastructure Limited An Miscellaneous Application No.1181 of 2019under Section 43 and 66 read with Section 60(5) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, and Rule 11 of the NCLT

Rules, 2016, seeking necessary directions against respondents and reversal of fraudulen transactions in the captioned Miscellaneous Application was presented by Mr. Vishall Ghisulal Jain, Liquidator of the Corporate Debtor on the 27th day of March 2019in Company Petition(IB) No. 405/IB/2018. The captioned Miscellaneous Application is fixed for hearing before the Mumbai Bench of National Company Law Tribunal on 25.01.2023. Take notice that the Respondents as mentioned above are directed to be present before Hon'ble Tribunal, Mumbai Bench Vide Order dated 01.12.2022. Any person desirous of supporting or opposing the said Miscellaneous Application should send to the Applicant's advocate, notice of his intention, signed by him or his advocate, with his name and address, so as to reach the Applicant's advocate not later than two days before the date fixed for the hearing of the captioned Miscellaneous Application. Where he seeks to oppose the captioned Miscellaneous Application, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the captioned Miscellaneous Application will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Adv. G. Aniruth Purusothaman (Advocate for Applicant)

Dated:17th January, 2023.

Office No. 1202, 12th Floor, Dalamal Tower, Nariman Point, Mumbai 400021

New Delhi

Number of employees/ workmen | 3 employees as on CIRP date B. Further details including last

All Information are available at www.euromultivision.com prospective resolution applicants

Last date for submission of objections to provisional list

> Resolution Professional Email: ip.jigar@gmail.com; cirp.euromulti@gmail.com

Date: 17.01.2023 Mobile: 9662542466, 97730 20484 Place: Ahmedabad

सार्वजनिक सूचना

पंजाब नैशनल बैंक ने बैंक में इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन हेत् फिनटेक/स्टार्टअप से ऑनलाइन आवेदन करने हेत वेब-आधारित एक फिनटेक पोर्टल लॉन्च किया है। बैंक में आवेदन करने के इच्छक फिनटेक/ स्टार्टअप चयन मानदंड के अनुसार बैंक के फिनटेक पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करने के लिए बैंक की वेबसाइट https://www.mypnb.in/Fintech/login पर जा सकते हैं तथा हमारे बैंक में इम्पैनलमेंट के लिए अपनी सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में भविष्य में सभी सूचनाएं एवं नोटिफिकेशन फिनटेक पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी।

दिनांक: 09.01.2023 मुख्य महाप्रबंधक

पंजाब नेक्नित बेंक 🧶 punyolo notional bank

(एनफोर्समेंट) नियमों 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 के नियम 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ऋणियों/मारन्टर्स को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जोकि आपको स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक नीचे उल्लिखित दिनांक को भेजा गया है। आपको सूचित किया जाता है कि आप नोटिस को मूल रूप में अघोहस्ताक्षर से प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी समस्त देयताओं का निस्तारण इस नोटिस की तिथि से 60 दिन के अन्दर करा दें अन्यथा बैंक (secured creditor) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुर्नानिर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अनुच्छेद 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों अथवा किसी एक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकारी होगा। डिमांड नोटिस की तारीख ऋणी / गारंटर का नाम बंधक सम्पत्ति का विवरण 05.01.2023 1 मोहम्मद शाहजेब आजाद पुत्र मोहम्मद मुस्तकीम एक आवासीय फ्लैट का साम्यिक बंधक स्थि डिमांड नोटिस देने की तिथि दूसरी मंजिल, पलैट नंबर- एसएफ- 4, संपत्ति पता 1: दूसरी मंजिल, फ्लैट नंबर-एस.एफ.-4, संपत्ति संख्या 05.01.2023 123 और 122 का भाग, रोज वैली अपार्टमेंट, पटेल नगर, मेरठ, संख्या 123 और 122 का भाग, रोज वैली कुल बकाया अपार्टमेंट, पटेल नगर, मेरठ, स्वामित्व मोहम्मद Rs.40,37,356-39 + आगामी ब्याज पता 2: मकान नंबर-23, करामत अली, केसर गंज, मेरठ, उत्तर शाहजेब आजाद, क्षेत्रफल 117.05 वर्ग मीटर।

मेरठ मुख्य शाखा, जीआईसी के सम्मुख, बेगम ब्रिज मार्ग, मेरठ दूरभाष सं: 0121-2518978(डी), 2522769, 2523571, 2401903 ईमेलः meerutmain@unionbankofindia.bank

दिनांक : 16.01.2023

अनुसूची 6 | नियम-8 (1) अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेत)

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मेरठ मुख्य शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपित्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना सं.: आरओएम : सरफॉएसिया: 335 10 दिनांकित 07-05-2010 निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं (नाम) श्री मदन गोपाल पुत्र श्री मुरन लाल (उधारकर्ता) तथा श्रीमती शोभा रानी पत्नी मदन गोपाल (सह–उधारकर्ता) और श्री अनिल कुमार पुत्र श्री राजेंद्र कुमार (गारंटर), मेरठ मुख्य शाखा के साथ अनुरक्षित खाता के अंतर्गत, को सूचना में अंकित राशि रु. 6,97,316/- (रुपये छह लाख सत्तानबे हजार तीन सौ सोलह मात्र) इस राशि पर संविदागत दर पर ब्याज अन्य शुल्कों का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने

चुंकि उधारकर्ता / गारंटर निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकर्ता / गारंटर को तथा जनसाधारण को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत, उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 11 जनवरी 2023 को, अधिग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता / गारंटर को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, रु. 6,97,316/- (रुपये छह लाख सत्तानबे हजार तीन सौ सोलह मात्र) और इस राशि पर 30-11-2009 से प्रभावी ब्याज एवं अन्य शुल्कों हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभृत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है। अचल संपत्ति का विवरण :

एक आवासीय मकान सं. आई–595, शास्त्री नगर, मेरठ, क्षेत्र माप 36.45 वर्ग मीटर का साम्यापूर्ण बंधक, जो श्री मदन गोपाल के नाम पर तथा इस प्रकार परिसीमित हैं:

परिसीमायें : पर्व- 5 मीटर / लेआउट चाहरदीवारी, उत्तर- 7.29 मीटर / मकान सं. आई-597

पश्चिम- 5 मीटर / 6 मीटर चौडी सडक दक्षिण- 7.29 मीटर/मकान सं. आई-593

दिनांक : 11-01-2023, स्थान : मेरठ प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



मेरठ मुख्य शाखा, जीआईसी के सम्मुख, बेगम ब्रिज मार्ग, मेरठ दूरभाष सं: 0121-2518978(डी), 2522769, 2523571, 2401903 ईमेलः meerutmain@unionbankofindia.bank

अनुसूची 6 [नियम–8 (1)] अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतू)

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मेरठ** मुख्य शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सचेना सं. एमआरटीएम : सरफॉएसिया: 406/1: 21-22 दिनांकित : 21-04-2022 निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं (नाम) मुजफ्फर अली पुत्र रफीक अहमद सैफी, प्रोप. मैसर्स रफीक अहमद सैफी (उधारकर्ता) और रफीक अहमद सैफी पुत्र अब्दुल्ला (गारंटर), मेरठ मुख्य शाखा के साथ अनुरक्षित खाता के अंतर्गत, को सूचना में अंकित राशि रु. 13,71,812.98/- (रुपये तेरह लाख इकहत्तर हजार आठ सौ बारह एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) + इस राशि पर संविदागत दर पर ब्याज एवं अन्य शुल्कों का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान

चूंकि उधारकर्ता / गारंटर निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभूगतान करने में विफल हो चूके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकर्ता / गारंटर को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत, उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 12 जनवरी 2023

उधारकर्ता / गारंटर को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, रु. 13,71,812.98/- (रुपये तेरह लाख इकहत्तर हजार आठ सौ बारह एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) और इस राशि पर 30-03-2019 से प्रभावी ब्याज एवं अन्य शुल्कों हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रभाराधीन होगा उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण:

एक आवासीय मकान नगर निगम सं. 106 का साम्यापूर्ण बंधक, जो मिनजुमला खसरा स. 3681 के भाग से युक्त है, जिसका भूमिगत क्षेत्रफल 98 वर्ग गज है, जो जाकिर हुसैन कॉलोनी, हापुड़ मार्ग, मेरठ में स्थित, रफीक अहमद पुत्र अब्दुल्ला के नाम पर तथा इस प्रकार परिसीमित हैं:

पूर्व— रास्ता 16' चौड़ा,

उत्तर— आबादी

पश्चिम— अन्य की संपत्ति

दक्षिण- इस्लामुद्दीन की संपत्ति दिनांक : 12—01—2023, स्थान : मेरठ

प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



मेरठ मुख्य शाखा, जीआईसी के सम्मुख, बेगम ब्रिज मार्ग, मेरठ दूरभाष सं: 0121-2518978(डी), 2522769, 2523571, 2401903 इमेलः meerutmain@unionbankofindia.bank

प्रतिभूति संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)

अनुसूची 6 [नियम-8 (1)] अधिग्रहण सूचना

(अचल संपत्ति हेतू)

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मेरठ मुख्य शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभित हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभित हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना सं.: एमआरटीएम : सरफॉएसिया: 334 : 11 दिनांकित 06—02—2012 निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं (नाम) नसीम कुरैशी पुत्र मोह. रफीक कुरैशी (उधारकर्ता)

और शाहीन क्रैशी पत्नी नसीम क्रैशी (सह–उधारकर्ता) और अफजल पुत्र इकबाल (गारंटर), मेरठ मुख्य शाखा के साथ अनुरक्षित खाता के अंतर्गत, को सूचना में अंकित राशि रु. 10,48,500/- (रुपये दस लाख अड़तालिस हजार पांच सौ मात्र) + इस राशि पर संविदागत दर पर ब्याज एवं अन्य शुल्कों का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। चुंकि उधारकर्ता / गारंटर निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकर्ता / गारंटर को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत, उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 12 जनवरी 2023 को, अधिग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता / गारंटर को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, रु. 10,48,500/- (रुपये दस लाख अडतालिस हजार पांच सौ मात्र) और इस राशि पर 30–11–2009 से प्रभावी ब्याज एवं अन्य शुल्कों हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभृत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के

प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

उधारकर्ता(ओं) / गारन्टों का नाम

स्थानः दिल्ली, एनसीआर दिनाकः 17.01.2023

www.readwhere.com

अचल संपत्ति का विवरण : मकान नयी सं. 23 (पुरानी सं. 18) का साम्यापूर्ण बंधक, जो भाग शाहा रादका, कोटला मार्ग मेरठ में स्थित है, जिसका क्षेत्र माप 50. 16 वर्ग मीटर है, जो नसीम कुरैशी और शाहीन कुरैशी के नाम पर तथा इस प्रकार परिसीमित हैं:

39.6 मीटर उसके बाद इकराम और अरशद की संपत्ति, **पश्चिम**— 39.6 मीटर उसके बाद उसी संपत्ति का 1/2वां भाग दक्षिण- 13.9 मीटर उसके बाद चंगा की संपत्ति उत्तर— 13.9 मीटर उसके बाद गेट हिस्सा/गली/रास्ता,

प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दिनांक : 12-01-2023, स्थान : मेरठ

कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड APRI GLOBAL

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालयः 502, टावर-ए, पेनिसुला बिजनेस पार्क, सेनापित बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई -400013 OUSING FINANCE LIMITED **परिक्षेत्र कार्यालय :**– कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 9बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, नई दिल्ली —110060

मांग-सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, २००२ के तहत। अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, २००२ (उक्त अधिनियम) के प्रवर्तन के तहत कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड(सीजीएचएफएल) का अधिकृत अधिकारी है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता (ओं)"), को जारी की गई संबंधित मांग नोटिस (सूचनाओं) में उल्लिखित राशियों जो नीचे भी दी गई हैं ,को चुकाने के लिए कहा गया है । उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी को एक बार फिर नोटिस दिया जाता है कि इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर नीचे दी गई राशि, साथ में तारीख से आगे लागू ब्याज (ब्याजों) उक्त ऋणी द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजोंध्लेखों, यदि कोई हो, के साथ पठित ऋण समझौते के तहत देय भुगतान औरध्या वसूली की तारीख तक नीचे उल्लिखित सीजीएचएफएल को भगतान करने के लिए कहा गया है। ऋण की देय भगतान के लिए प्रतिभृति के रूप में, निम्नलिखित संपत्तियां उक्त ऋणी द्वारा क्रमशः सीजीएचएफएल को गिरवी रखी गई हैं।

	5	31 1111	
1.	(ऋण खाता सं.— LNHLMAY000060612	11.01.2023	मंदिर वाली गली की आबादी में ग्राम आजादपुर के लाल डोरा में
	नोएडा-मयूर विहार शाखा) गौतम कुमार (उधारकर्ता), खुशबू देवी, इनक्रेडिबल इंटेलिजेंस सर्विसेज प्रा. लिमेटेड (इसके निदेशक के माध्यम से) (सह—उधारकर्ता)	₹্চ. 26,93,711/—	आजादपुर, दिल्ली—110033 में स्थित खसरा नं 93/2 में से, भूमि व निचला भाग का अविभाजित आनुपातिक फ्री होल्ड अधिकारों के साथ छठ के अधिकार के साथ निर्मित तीसरी मंजिल, क्षेत्रफल 135 वर्ग गज(112.8' वर्ग मीटर) वाली संपत्ति संख्या 20 पर निर्मित, भूमि और भवन का वह सब टुकड़ा एवं अंश, चौहद्दी : पूर्व द्वारा— अन्य की संपत्ति(खसरा का हिस्सा) पश्चिम द्वारा— सम्पत्ति सं. 21, उत्तर द्वारा —6 फीट की गली, दक्षिण द्वार — दूसरों की संपत्ति,
य	- दि उक्त ऋणी पर्वोक्त के अनसार सीजीएचएफएल को भग	- ातान करने में विफल हो ज	जाते हैं. तो सीजीएचएफएल अधिनियम की धारा 13(4) और लाग नियमे

मांग सूचना तिथि

के तहत सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ पूरी तरह से लागत और परिणामों के रूप में उपरोक्त उधारकर्ताओं के जोखिम पर आगे बढ़ेगा कथित। उक्त उधारकर्ताओं को सीजीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्यथा पट्टेदार को स्थानांतरित करने से अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अभिनीति नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन किया है, वह अधिनियम के तहत प्रदान किए गए कारावास और / या दंड के लिए उत्तरदायी होगा। हस्ता/- (अधिकृत अधिकारी), कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

इण्डियन ओवरसीन बैंक पुलिस लाइन शाखा पुलिस लाइन ,मेरठ प्रतिभृतिकरण व वित्तीय अस्तियों का पुनर्निमाण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के उप धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस

सिक्योरिटाइजेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेशियल असेटस एवं एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इन्टेस्ट

प्रदेश-250002 व अन्य खर्चे

स्थानः मेरठ

Indian Bank

शाखाः मुख्य रोहतक मार्ग नांगलोई पता : 18-डी, अशोक मोहल्ला, मुख्य रोहतक मार्ग, नांगलोई ई-मेलः n537@indianbank.co.in दुरभाष: 011-25943040

प्राधिकृत अधिकारी

नियत देयक राशि का भुगतान करने में विफल हो चुके हैं और उन्हें इस संबंध में कई सूचनायें भेजे जाने के बाद भी वे भुगतान नहीं कर पाये हैं। इसलिए निम्न तालिका में वर्णित ऋणग्राहियों को निम्नांकितानुसार वर्तमान अवधि में बकाया देयक राशि का, राशि पर नियत–निर्धारित भावी ब्याज, लागत, अन्य शुल्कों व्ययों के साथ बैंक को भुगतान करके अपने भुगतान-दायित्व का निर्वहन करने का निर्देश पारित करते हैं। यदि 31.01.2023 को या उससे पहले बकाया शेष राशि का प्रतिभगतान नहीं किया जाता है और बैंक की संतुष्टि के दावों को सिद्ध करने के बाद आभूषणों ऋणमुक्त कर छुडवाया जाता है, तो आभूषणों का शाखा प्रबंधक द्वारा ०७.०२.२०२३ को मंगलवार, अपराह्न ३.०० बजे इंडियन बैंक मुख्य रोहतक मार्ग शाखा नांगल

मारी मुख्य रोहतक मार्ग नांगलोई शाखा में, नीचे सूचीबद्ध ऋणग्राहियों ने अपने स्वर्णाभूषण गिरवी रखकर हम से स्वर्ण—ऋण प्राप्त किया है और वे इस स

के बैंक परिसरों में कोई भावी सूचना दिये बिना ही सार्वजनिक नीलामी के अंतर्गत विक्रय कर दिया जायेगा और विक्रयगत आय को ब्याज एवं अन्य व्ययों के सा ऋण राशि के समायोजन हेतु उपयोग में लाया जायेगा। यदि विक्रयगत आय बकाया ऋण को बंद करने के लिए पर्याप्त नहीं होत है, तो संबंधित ऋणग्राही विधिक औपचारिकताएं पूरी करके शेष राशि वसूल की जाएगी।

नारायण, बी—192, कैंप नं. 2 नांगलोई, ब्लॉक बी, पश्चिमी	ऋण खाता स.	क्र. स.	नाम एवं पूरा पता	ऋण तिथि	ऋण सीमा (रु.)	ऋण समापन बकाया (प्रक. ।शन की तिथि के अनुसार)	कुल भार (ग्राम में)
ादल्ला—110041 कृपया ध्यान दें कि सूचना प्रकाशित करने में हुये व्यय और नीलामी पर हुये व्यय को ऋणग्राही के खातों में डेबिट किया जाना चाहिए		1.	नारायण, बी—192, कैंप नं. 2 नांगलोई, ब्लॉक बी, पश्चिमी दिल्ली—110041				119.7 ग्राम

जैसी है जो है' आधार पर आयोजित की जाती है और बैंक नीलाम किए जा रहे आभूषणों की गुणवत्ता और विशिष्टता के संबंध में कोयी ' उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं करता है। यह सफल बोलीदाता / क्रेता के जोखिम पर है।

बैंक के पास बिना कोई कारण बताए, चाहे जो कुछ भी हो, किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि निम्न सूचीबद्ध ऋणग्राहियों में से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो यह सूचना दिवंगत ऋणग्राही के विधिक उत्तराधिकारियों के लिए लागू होती है यदि दिवंगत ऋणग्राही के विधिक उत्तराधिकारी, नीलामी के बाद शेष बचे आभूषणों और अधिशेष राशि के लिए कोयी दावा करते हैं, तो दिवंगत दाव के निपटान हेत् लाग् प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

टिप्पणी : प्रतिभागीगण जो अपना केवाईसी पहचान प्रमाण, मुल पैन कार्ड फोटोकॉपी के साथ लाएंगे, उन्हें ही बोली प्रक्रिया के लिए अनुमति दी जाएर्ग प्रतिभागियों को बोलीदान के दिन शाखा के नो लियन खाता के अंतर्गत बोलीदान आरंभ होने से पहले सावधानी—जमा के रूप में रु. 10,000 / — भुगतान करना होगा। बोलीदाता द्वारा सफल बोलीदान किये जाने पर, पहले भुगतान की गयी सावधानी-जमा को बोली राशि में कटौती करके समायोजि किया जायेगा और और बोलीदाता को शेष बोली राशि का भूगतान करना होगा। यदि प्रतिभागीगण बोलीदान नहीं कर रहे हैं, तो सावधानी—जमा तहत जमा की गयी राशि वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता को उसी दिन पूरी बोली राशि का भगतान करना होगा अन्यथा बैंक द्वारा सावधानी-ज की राशि वापस नहीं की जाएगी। शाखा प्रबंधक, इंडियन बैंक दिनांक: 16-02-2023

स्थान : नांगलोई मुख्य रोहतक मार्ग नांगलोई शाख



जीआईसी के सम्मुख, बेगम बिज मार्ग, मेरठ दुरभाष सं: 0121-2518978(डी), 2522769, 2523571, 2401903 **ब्रीलः** meerutmain@unionbankofindia.bank

मेरठ मुख्य शाखा,

अनुसूची 6 [नियम-8 (1)] अधिवाहण सूचना (अचल संपत्ति हेतू)

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मेरठ मुख्य शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना सं.: सरफॉएसियाः 30 : 18–19 दिनांकित : 15–12–201 निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं (नाम) श्री पदम सिंह पुत्र श्री एस.पी. सिंह (उधारकर्ता) तथा श्री रतन सिंह पुत्र श्री जी.आर. सिंह (गारंटर), मेरठ मुख्य शाखा के साथ अनुरक्षित खाता के अंतर्गत, को सूचना में अंकित राशि रु. 2,05,090/- (रुपये दो लाख पांच हजार नब्बे मात्र) + इस राशि पर संविदागत दर पर ब्याज अन्य शूल्कों का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभूगतान करने को कहा गया था। चूंकि उधारकर्ता / गारंटर निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकर्ता / गारंटर को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत, उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 12 जनवरी 2023 को, अधिग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता / गारंटर को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, रु. 2,05,090/- (रुपये दो लाख पांच हजार नब्बे मात्र और इस राशि पर 30–09–2018 से प्रभावी ब्याज एवं अन्य शूल्कों हेत् यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण :

एक आवासीय मकान जो खसरा सं. 2462 के भाग से युक्त, इंदिरा नगर, मेरठ में स्थित है जिसकी क्षेत्र माप 32.32 वर्ग मीटर है, जो श्री पदम सिंह के नाम पर है, उसका साम्यापूर्ण बंधक तथा जो इस प्रकार परिसीमित हैं:

पूर्व— 22'9'' / दिनेश का भूखंड / मंगलम अल राजवंशी के वर्तमान मकान पर, पश्चिम— 22'9'' / अशोक की संपत्ति उत्तर— 15'3'' / सड़क, दक्षिण— 15'3'' / किशन सिंह यादव का मकान

दिनांक : 12-01-2023, स्थान : मेरठ प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



मेरठ मुख्य शाखा, जीआईसी के सम्मुख, बेगम ब्रिज मार्ग, मेरठ दूरभाष सं: 0121–2518978(डी), 2522769, 2523571, 2401903 इमेलः meerutmain@unionbankofindia.bank

अनुसूची 6 [नियम-8 (1)] अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मेरठ मुख्य शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना सं.: एमआरटीएम : सरफॉएसिया: 405/32137 : 21–22 दिनांकित 11—04—2022 निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं (नाम) एस. नीरज पत्नी कालू सिंह उर्फ सुरेंद्र सिंह (उधारकर्ता) और कालू सिंह उर्फ सुरेंद्र सिंह पुत्र धर्म पाल सिंह (सह–उधारकर्ता), मेरठ मुख्य शाखा के साथ अनूरक्षित खाता के अंतर्गत, को सूचना में अंकित राशि रु. 15,48,059.91/- (रुपये पंद्रह लाख अड़तालिस हजार उनसठ एवं इक्यानबे पैसे मात्र) + इस राशि पर संविदागत दर पर ब्याज एवं अन्य शुल्कों का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि उधारकर्ता/गारंटर निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकर्ता/गारंटर को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत, उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 12 जनवरी 2023 को, अधिग्रहण कर उधारकर्ता / गारंटर को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें

तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन—देन, रु. 15,48,059.91/- (रुपये पंद्रह लाख अड़तालिस हजार उनसठ एवं इक्यानबे पैसे मात्र) की एक राशि और इस राशि पर 12–07–2021 से प्रभावी ब्याज एवं अन्य शुल्कों हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

सूचना निर्गत की थी।

एक वाणिज्यिक भवन सं. का साम्यापूर्ण बंधक, जो गोपाल विहार, सुभारती हॉस्पिटल के सम्मुख, वेदव्यासपूरी के समीप, खसरा सं. 1615 के भाग, ग्राम–मलियाना, परगना तहसील एवं जनपद–मेरठ में स्थित, क्षेत्र माप 448.06 वर्ग मीटर, श्रीमती नीरज के नाम पर तथा इस प्रकार गरिसीमित हैं: परिसीमायें

पूर्व- 53.00 मीटर उसके बाद अरजी राजेंद्र की संपत्ति,

पश्चिम- 53.00 मीटर उसके बाद रास्ता,

उत्तर— 91.00 मीटर उसके बाद होता लाल शर्मा की भूमि, दिनांक : 12-01-2023, स्थान : मेरठ

दक्षिण- 91.90 मीटर उसके बाद परम वीर सिंह की भूमि प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

UCO BANK

डीक यका (भारत सरकार का उपक्रम)



(A Govt. of India Undertaking)

शाखा कार्यालयः सुप्रीम कोर्ट कम्पाउण्ड, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001 **कब्जा सूचना** (अचल सम्पत्ति के लिए) (परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें)

जबिक अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत यूको बैंक, सुप्रीम कोर्ट कम्पाउंड शाखा, तिलक मार्ग, नई दिल्ली का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं प्रतिभत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 3] के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शिक्तयों के उपयोग में कर्जदारों (1) श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं श्रीमती ज्योति सिंह (कर्जदार), पता 1: मकान नंबर 135, तीसरी मंजिल कमरा नंबर 309, मोहम्मदपुर भीकाजी कामा प्लेस के पास, नई दिल्ली -110085, पता 2: आईएनडी 105, पहली मंजिल, पार्श्वनाथ एडेंस, प्लॉट नंबर जीएच-05, सेक्टर अल्फा II, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र. 2.- श्री अवध नारायण सिंह (जमानती) पता:- द्रष्टा गोवर्धनपुर. बी एच यू, लंका वाराणसी, उ.प्र. -221005 को कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर 31.03.2021 तक सूचना में उल्लिखित बकाया राशि रु. 47,06,896/- (रुपये सैंतालीस लाख छ: हजार **आठ सौ छियानबे मात्र**) + ब्याज (31.10.2020 से) का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 07.11.2022 को एक माँग

कर्जदार/जमानती द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण, एतद्वारा कर्जदारों/जमानतियों को तथा जनसामान्य को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 16 जनवरी, 2023 को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों/जमानतियों को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार 31.03.2021 तक बकाया राशि 47,06,896/- (रुपये सैंतालीस लाख छ: हजार आठ सौ छियानबे मात्र) तथा 31.10.2020 से उस पर भावी ब्याज के लिए सुप्रीम कोर्ट कम्पाउंड शाखा, तिलक मार्ग, नई दिल्ली के प्रभार का विषय होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति फ्लैट नं. आईएनडी 105, पहली मंजिल, पार्श्वनाथ एडेंस, प्लॉट नंबर जीएच-05, सेक्टर अल्फा II सिटी, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र. का समस्त भाग।

तिथिः 16.01.2023 स्थानः नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक मंबई पत्तन प्राधिकरण



तात्कालिक मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963 अर्थात् मेजर पोर्ट प्राधिकरण अधिनियम 2021 के अंतर्गत निर्मित विभिन्न विनियमनों/नियमों/उपनियमों आदि की परीक्षा/परामर्श/तथा प्रारूपण के लिये सभी प्रमुख पत्तनों के साथ इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी एवं सूचीबद्ध कानून फर्मों से एकल कवर लिमिटेड टेण्डर का आमंत्रण अधिक विवरणों के लिये कृपया हमारी वेबसाइट www.mumbaiport.gov.in देखें सचिव

MbPT-20-2023

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India 1911 से आपके लिए "केन्डित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय (सेंट्रल) 1398, प्रथम तल, चाँदनी चौक, दिल्ली-110006

शास्त्र पत्र

कृपया, 31.12.2022 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी सूचना तिथि 24.1.2022 (15 दिनों की सुचना) का हमारा विज्ञापन देखें। क्रम सं. 1-मै. मुचुअल फार्मा प्रा.लि. तथा मै. दक्ष केमिस्ट की एक खाता में नियमों एवं शर्तों में परिर्वतन किया गया है। वर्तमान में शर्त ''जैसा है जहाँ है''. ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कछ भी वहाँ है'' आधार पर है जिसे इस प्रकार पढ़ें: ''केवल परिसर का भूमि तथा भवन ही ई-नीलामी के अंतर्गत बिक्री के लिये हैं '' तथा ''परिसर में विद्यमान वस्त बिक्री के लिये नहीं है''। नीलामी के अन्य नियम एवं शर्तें पर्ववत रहेंगे।

केनरा बैंक Canara Bank 🖇 शाखा कार्यालयः २ग तल वर्ल्ड टेड टावर बाराखम्बा लेन. नई दिल्ली-110001 राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण पीठ-VI. नई दिल्ली में आईबी-396/एनडी/2022 आईए/4795/2022 मामले में: केनरा बैंक (द्वारा श्री विवेक पार्ती, प्रस्ताव कर्मी)

सुश्री अनीता डैंग प्रतिवादी सेक्शन

आईबी संहिता, 2016 की धारा 95(1) सेवा में. अनीता डैंग (कॉर्पोरेट ऋणधारक-अमीरा प्योर फूड्स प्रा.लि. के पर्सनल गारंटर)

लाख तैंतालिस हजार दो सौ इक्यासी एवं पैसे बयालिस मात्र) की वसली के लिये आपके विरुद्ध दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा-95 के अंतर्गत उक्त याचिका संस्थापित किया है। पुनः, माननीय अधिकरण के निर्देशानुसार प्रस्तावकर्मी को धारा 99 रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था एवं तदनुसार, आरपी ने माननीय अधिकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अब, आदेश तिथि 3.1.2023 के माध्यम से माननीय अधिकरण के निर्देश के अनसार आपको निर्देश दिया जाता है कि आगे की कार्रवाई के लिये 30.1.2023 को माननीय अधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों तथा साथ ही आपको अग्रिम अनुपालन के लिये

आवेदक/याचिकाकर्ता ने आगे के ब्याज के साथ रु. 425,93,43,281.42 (रु. चार सौ पच्चीस करोड़ तिड़ानवे

तदनुसार, आपको अग्रिम कार्रवाई के लिये कोर्ट में उपस्थित होने के लिये इस सार्वजनिक सूचना का पालन करन होगा अन्यथा मामले की सुनवाई आपकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय रूप में की जाएगी।

विवेक पार्ती प्रस्ताव कर्मी

IBBI पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P00813/2017-18/11376

ए-166, 2रा तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024



सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति (फोटो में दर्शाया गया) जिसका नामः नामालूम, परिवार व पता नामालूम, उम्रः करीब 50 वर्ष, जो श्रीनिवासपुरी बस स्टाँप के पीछे बेंच पर, पेट्रोल पम्प के पास, रिंग रोड, श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली में दिनांक 06.01.2023 को मृत पाया गया। इस संदर्भ में एक डीडी संख्या 31-ए दिनांक 06.01.2023 थाना अमर कालोनी, नई दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज है।

लिंगः पुरूष, **आयुः** 50 वर्ष, कदः 5' 6" फीट रंगः गेंहुआ, चेहराः गोल, शरीरः दरमियाना, पहनावाः हरे रंग की टी-शर्ट, ग्रे जैकेट और हरे रंग का लोअर पहने हुए था।

मृतक के बारे में कोई जानकारी या सुराग रखने वाला कोई भी व्यक्ति

फोनः 011—26474748, 26412194 ई-मेल: cic@cbi.gov.in मोबाइलः 8750870931 ਟੇਕੀ. ਜ.: 011-24368638/24368641 फैक्स नं.: 011-24368639

DP/532/SE/2023

मेगनम वैचर्स लिमिटेड सीआईएन : L21093DL1980PLC010492

पंजीकृत कार्यालयः एचएनओ–एमएन ० १, हब औरओक , ई – 14 , लोअरग्राउंडफ्लोर, डिफेंसकॉलोनी,नई दिल्ली–110024. दूरभाष :+91-11-42420015 ई—मेल :info@magnumventures.in वेबसाइट :www.magnumventures.in 01/2022-23 असाधारण आम वैठक

और दूरस्थ ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

रतद्दवारा सुधना दी जाती है कि मैग्नम बेंचर्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 01 / 2022–23 असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुधवार, 08 फरवरी, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') के माध्यम से दोपहर 01:00 बजे आयोजित की जाएगी ताकि सामान्य और विशेष व्यवसाय का लेनदेन किया जा सके, जैसा कि उक्त वार्षिक आम बैठक को बुलाने वाले नोटिस में निर्धारित किया गया है। सूचना और दूरस्थ ई—वोटिंग विवरण उन सभी सदस्यों को भेजे गए हैं, जो रिकॉर्ख तिथि, यानी 13 जनवरी, 2023 को ईमेल द्वारा शेयर रखते हैं तथा जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरी (ऑ) के साथ पंजीकृत है । शेयरधारकों को नोटिस के ईमेल के पूरा होने की तारीख 16 जनवरी, 2023 है। उक्त दस्तावेजों को कंपनी की वेबसाइट www.magnumventures.in पर भी देखा जा सकता है।

सामान्य परिपत्रों के अनुसार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से ईजीएम आयोजित करने की अनुमति है ।

सूचना प्राप्त करने और ई—वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

सर्विसेज लिमिटेंड को फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति (फ्रंट एंड बैक), पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करने के लिए info@masserv.com पर एक अनुरोध भेजें । कृपया मूल रद्द किए गए चौक के साथ अपने बैंक विवरण को फोलियो नंबर का उल्लेख करने वाले पत्र के साथ हमारे आरटीए (यानी एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, टी -34 दूसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण -2, नई दिल्ली -110020) को भेजें, यदि पहले से पंजीकृत नहीं है।

ढीमैंट होल्डिंगः कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिमागी (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें। कृपया कंपनी द्वारा घोषित होने पर एनएसीएच द्वारा लाभांश

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार, कंपनी ने अपने पोर्टल के माध्यम से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा अपने पोर्टल www.evoting.nsdl.com के माध्यम से सभी व्यवसायों का लेनदेन करने के लिए ई–वोटिंग सुविधा की पेशकश की है, ताकि सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट

कें रूप में नियुक्त किया गया हैं।

क) दूरस्थ ई—वोटिंग रविवार, 5 फरवरी, 2023 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी और मंगलवार, 7 फरवरी,

ख) एजीएम में रिमोट ई—वोटिंग और ई—वोटिंग के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट—ऑफ तिथि 1 फरवरी, 2023 है।

 कोई भी व्यक्ति जो बैठक के नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट—ऑफ तिथि यानी 1 फरवरी, 2023 को शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in या मैसर्स एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, कंपनी के आर एंड टी एजेंट पर टी -34, दूसरी मंजिल, ओखला आँद्योगिक क्षेत्र, फंज-2. नई दिल्ली-110020 फोन: 011-26387281 / 82 / 83, फैक्स: 011-26387384, ईमेल:

बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा।

s) एक बार जब सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर मतदान किया जाता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। व) ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्यों ने

cs_mvl@cissahibabad.in पर या श्री श्रवण मंगला, जीएम, मास सर्विसेज लिमिटेड, आरटीए को info@masserv.com को सम्बोधित कर सकते हैं।

अभय जैन (प्रबंध निदेशक) तिथि : 17.01.2023 डीआईएन : 0 1876385

प्राधिकृत अधिकारी, सेंट्रल बेंक ऑफ इंडिया

ए-166, 2रा तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 में प्रस्तावकर्मी के कार्यालय से उक्त रिपोर्ट की प्रति प्राप्त

आज 16 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली में।

पहचान की अपील



जिसका हलिया नीचे दिया गया है:--

निम्नलिखित पते या टेलीफोन नंबर पर सूचित करें:-थाना प्रभारी थानाः अमर कॉलोनी, दिल्ली वेबसाइट: http://cbi.nic.in

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए गए यदि आपने कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया ईजीएम की

फिजिकल हो ल्डिंग: ईमेल पते को पंजीकृत करने के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, एमएएस

भुगतान के लिए अपने डीपी के साथ अपने बैंक विवरण को भी अपडेट करें ।

सदस्य कुपया निम्नलिखित परध्यान दें:

2023 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगी।

info@masserv.com में अनुरोध भेजकर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। ा) हालांकि, यदि सदस्य पहले से ही दूरस्थ ई—वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो वे अपना वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके

एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे छ) सदस्य एजीएम नोटिस में प्रदान किए गए विस्तृत ई-वोटिंग निर्देशों का अध्ययन कर सकते हैं या https://evotingindia.com का दौरा कर सकते हैं और ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी

प्रश्न/शिकायत को सुश्री आइना गुप्ता, कंपनी सचिव, मैग्नम वेंचर्स लिमिटेड को त्र) श्री मुनीष कुमार शर्मा (एडवोकेट एंड इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल), को ई—वोटिंग प्रक्रिया के लिए स्क्टनीजर

मैगनम वैंचर्स लिमिटेड के लिए स्थान : गाजियाबाद